

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2279
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

कानूनी पेशेवरों के लिए योजना

2279. श्री गोपाल जी ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कानूनी पेशे के शुरुआती वर्षों में आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे पेशेवरों/नए लोगो वित्तीय मदद देने के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) से (ख) : वर्तमान में सरकार द्वारा युवा विधिक वृत्तिकों/नवदीक्षित वकीलों को वित्तीय सहायता देने की किसी स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
